**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 4863**

**उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025**

**मैट्रिक-पूर्व अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता**

**4863. श्री विष्णु दयाल राम:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मैट्रिक-पूर्व अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रचार के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और क्या वर्ष 2019-22 के बीच समाचारपत्रों अथवा अन्य मीडिया में विज्ञापन देने पर कोई व्यय नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो विद्यालय स्तर पर चलाए गए अभियानों सहित ऐसे प्रचार प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पात्र छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक कदमों की योजना बनाई जा रही है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क) और (ख):** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2019-2022 के बीच समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से आउटरीच को प्रोत्साहन देने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

i. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है।

ii. रेडियो-कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है।

iii. योजना के ब्यौरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किये जाते हैं।

उपरोक्त योजना के तहत वर्ष 2019-2022 के बीच व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

| | **राशि (रू. में)** |
|---|---|
| रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से | 36,86,415 |
| समाचार पत्रों में विज्ञापन | 39,94,848 |
| **कुल** | **76,81,263** |

**(ग):** उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****